

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 1262/2024

अंकिता माथुर पुत्री श्री सी. एस. माथुर, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी 138, लक्ष्मण कॉलोनी, श्याम नगर, जयपुर (राज.).

-----अपीलार्थी

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये आबकारी आयुक्त, कार्यालय आबकारी भवन, पंचवटी, उदयपुर (राज.)
- महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (राज.)
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (राज.)

-----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री. मुक्तेश महेश्वरी

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री. महवीर बिश्नोई, ए.ए.जी.
श्री. हर्षवर्धन सिंह

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान् मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् सुनील बेनिवाल

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

21/04/2025

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन:

1. आवेदन में बताए गए कारणों और वर्तमान अपील को दाखिल करने में 8 दिन की अल्प अवधि के विलंब को ध्यान में रखते हुए, अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
2. विलम्ब के लिए क्षमा हेतु आवेदन को तदनुसार अनुज्ञात किया जाता है।

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 1262/2024 :

1. सुना गया।
2. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करने और अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि मंजूरी प्रदान करते समय निर्मित की गई राय यांत्रिक है और इसमें विवेक का उचित प्रयोग नहीं किया गया है।
3. हम पाते हैं कि अभियोजन मंजूरी प्राधिकारी ने, आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपने समक्ष अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परीक्षण मांग, स्वीकृति और बरामदगी से संबंधित सुसंगत पहलुओं पर किया है। इससे बढ़कर, बातचीत के लिप्यंतरण को भी ध्यान में रखा गया है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि एसीबी के अधिकारी, जिन्होंने खुद को अनुसंधान अधिकारी बताकर मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किया था, तथ्यात्मक रूप से गलत है, जिस तथ्य को विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।
5. हम पाते हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करते समय पारित आदेश में न केवल अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों की प्रकृति को अभिलेख पर रखा गया है और उस पर ध्यान दिया गया है,

बल्कि उस सामग्री को भी ध्यान में रखा गया है जिसके आधार पर विचारण के दौरान आरोपों को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है।

6. यह सर्वविदित है कि मांग, स्वीकृति और बरामदगी किसी मामले को साबित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। इस बात से परे कि मांग, स्वीकृति और बरामदगी के संबंध में सामग्री विश्वास करने योग्य है या नहीं, हम इस मत के हैं कि अभियोजन मंजूरी प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि वर्तमान मामला अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने हेतु उपयुक्त है, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है, भले ही वह संक्षिप्त रूप में क्यों न हो। हम अभिलेख पर की सामग्री से यह भी पाते हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला मध्यस्थ और अधिकारी के बीच की गई ध्वन्यंकन की कुछ लिप्यंतरण पर आधारित है। आक्षेपित आदेश में इसका भी उल्लेख किया गया है। हम इस प्रक्रम पर इस बात पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि सामग्री स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं, क्योंकि अभियोजन मंजूरी दी जानी है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए सामग्री पर विचार करते समय, ट्रैप के दौरान एकत्र की गई दोषारोपणकारी सामग्री की उपलब्धता पर एक प्रथम दृष्ट्या दृष्टिकोण देखा जाना है। इस पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, यह विचारण का विषय है। यह अभियोजन मंजूरी के आदेश की शुद्धता और विधिमान्यता को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता है।

7. मंजूरी प्रदान करने के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। हम **मनसुखलाल विठलदास चैहान बनाम गुजरात राज्य [(1997) 7 एससीसी 622]**, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयोगी मान सकते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"25. इस सिद्धांत को टाटा सैल्युलर बनाम भारत संघ एआईआर 1966 एससी 11 = (1994) 6 एससीसी 651 में दोहराया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिकथित किया गया था कि न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में अधिविष्ट नहीं होती है, बल्कि केवल उस रीति का पुनर्विलोकन करती है जिस तरह से निर्णय दिया गया था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सुधारने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है, तो यह अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करना होगा जो कि स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकता है। न्यायालय ने इंगित किया कि न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को वैधता के प्रश्न तक ही सीमित रखना है। इसका सरोकार निम्नलिखित से होना चाहिए

1. क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है?
2. विधि की कोई त्रुटि की है;
3. नैसर्गिक न्याय के नियमों का भंग किया है;
4. ऐसा निर्णय लिया है जिस पर कोई भी युक्तिमान अधिकरण नहीं पहुँचता; या
5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

26. xxx

27. xxx

28. स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लि. विरुद्ध एम/एस एम & एन पब्लिकेशन्स लि. एवं अन्य, एआईआर 1966 एससी 51 = (1993) 1 एससीआर 81 = (1993) 1 एससीसी 445, में यह इंगित किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय मुख्य रूप से इस बात से सरोकार रखती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई दुर्बलता तो

नहीं रही है? इस मामले में प्रोफेसर वेड के 'प्रशासनिक कानून' के निम्नलिखित लेखांश पर निर्भरता की गई :

"शक्तियों का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए, इस सिद्धांत को उस महत्वपूर्ण सिद्धांत से कमतर नहीं माना जाना चाहिए जिसके अनुसार न्यायालय को उस लोक प्राधिकारी के विवेकाधिकार को नहीं छीनना चाहिए जिसे संसद ने निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया है। कानूनी तर्कसंगतता की सीमाओं के भीतर वह क्षेत्र आता है जिसमें निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के पास वास्तविक रूप से स्वतंत्र विवेक होता है। यदि यह उन सीमाओं को लांघता है, तो यह अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। इसलिए न्यायालय को केवल अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर सीमाओं को बहुत संकीर्ण रूप से खींचने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए। इसे एक ऐसे वस्तुपरक मानक को लागू करने का प्रयास करना चाहिए जो निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को उन विकल्पों की पूरी श्रृंखला प्रदान करे जिनके बारे में विधायिका आशयित होने के लिए उपधारित हो।"

29. यह बताया जा सकता है कि इस सिद्धांत को प्रोफेसर वेड द्वारा अर्ध-न्यायिक निकायों और उनके निर्णयों पर भी लागू किया गया था। द क्वीन बनाम जस्टिस ऑफ लंदन, (1895) 1 क्यूबी 214 के निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रोफेसर वेड ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जहाँ किसी लोक प्राधिकारी को किसी मामले का निर्धारण करने की शक्ति दी गई थी, वहाँ किसी विशेष निर्णय पर पहुँचने के लिए उसे बाध्य करने हेतु परमादेश रिट लागू नहीं होगी।

30. इस न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी शामिल थे, ने यू.पी. फाईनैशियल कॉर्पोरेशन बनाम मैसर्स जेम कैप (इंडिया) प्रा.लि. व अन्य, एआईआर

1993 एससी 1435 = (1993) 2 एससीआर 149 =(1993) 2 एससीसी 229 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की :

"11. प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्य करने का दायित्व विधि के शासन को सुनिश्चित करने और न्याय की विफलता को रोकने के लिए विकसित किया गया था। यह सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूरक है जिनका अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है। यह सच है कि अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच का विभेद बहुत कम हो गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 1970 में ही ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ एआईआर 1970 एससी 150 में इंगित किया गया था। भले ही, प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में न्यायिक संवीक्षा/न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा अर्ध-न्यायिक कार्रवाई के मामले से बड़ा नहीं हो सकता। यदि उच्च न्यायालय अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के निर्णयों और आदेशों पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिविष्ट नहीं हो सकता है, तो यह समान रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के मामले में भी ऐसा नहीं कर सकता है। प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में, यह सर्वविदित है कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के पास एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं; उनके पास एक निश्चित मात्रा में विवेकाधिकार उपलब्ध होता है। उनके पास कार्रवाई के एक से अधिक संभावित मार्गों में से चुनने का अधिकार है, जिस पर इस बात को लेकर उचित राय रखने वाले लोगों के बीच अलग-अलग विचार हो सकते हैं कि किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (लॉर्ड डिप्लोप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोर एजुकेशन बनाम टेमसाइड मेट्रोपॉलिटन बोरो काउंसिल - 1997 एससी 1014 एट 1064)। न्यायालय ऐसे मामलों में प्रशासनिक प्राधिकरणों के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं कर सकती

है। केवल तभी जब प्रशासनिक प्राधिकरण की कार्रवाई इतनी अनुचित या तर्कहीन हो कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति वैसी कार्रवाई नहीं करता, तभी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है।"

8. इस मामले को देखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और अभियोजन मंजूरी प्रदान करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं।

9. मामले को समाप्त करने से पूर्व, हम यह कहना और स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि जो टिप्पणियाँ की गई हैं, वे अभियोजन मंजूरी के आदेश की शुद्धता और वैधता की जाँच करने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं। विचारण के दौरान मामले को साबित करना अभियोजन पक्ष का काम है। इन टिप्पणियों को मांग, स्वीकृति और बरामदगी के मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कथित रूप से एकत्र किए गए साक्ष्य के साक्षिक मूल्य या विश्वसनीयता पर किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा।

10. तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

(सुनील बेनिवाल),जे

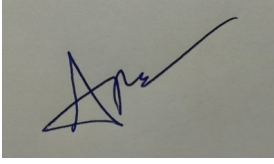
(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव),सीजे

25-जयेश/-

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

[2025:आरजे-जेडी:19147-डीबी]

ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aditya Pratap Singh Nirvan', written on a light-colored background.

आदित्यप्रताप सिंह निरवान